

जनपद मीरजापुर

दिनांक:- 05.11.2020

थाना चील्ह पुलिस द्वारा नकली/अपमिश्रित शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, कुल 11 पेटी में 500 शीशी अवैध देशी शराब, केमिकल एवं नकली रैपर, पैकिंग मशीन व अन्य उपकरण तथा अल्टो कार बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार —

अवैध मादक पदार्थों के निर्माण व तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक छोटक यादव थाना चील्ह मय हमराह चील्ह चैराहे पर रात्रि गश्त/चेकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मझलीपट्टी में नकली देशी शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही है सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक थाना चील्ह मय पुलिस बल द्वारा ग्राम मझलीपट्टी बताए गए स्थान पर पहुंचकर छापेमारी की गयी तो विनोद कुमार सिंह पुत्र स्व० हीरा सिंह निवासी मझलीपट्टी थाना चील्ह मीरजापुर के मकान में चल रही अवैध/अपमिश्रित शराब की फैक्ट्री से 11 पेटी नकली देशी शराब कुल 500 शीशी (प्रत्येक 180 एमएल), खाली शीशी 600, ढक्कन 600, रैपर ब्लू लाइम 95 अदद, जिसपर लार्ड्स डिस्टिलरी लि० नन्दगंज जिला गाजीपुर लिखा है, रैपर बाम्बे स्पेशल विस्की 150 अदद एक पैकिंग मशीन, दो प्लास्टिक डिब्बा पानी भरा, एक अदद प्लास्टिक का डिब्बा 50 ली० केमिकल युक्त तथा एक अल्टो कार यूपी 65 एक्स 6964 को भी मौके से बरामद किया गया, जिससे अभियुक्तगण द्वारा शराब के अवैध व्यापार करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। मकान मालिक विनोद कुमार सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अमरजीत उर्फ चैनई पुत्र पहपट निवासी मझलीपट्टी थाना चील्ह मीरजापुर जो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। उक्त के सम्बन्ध में थाना चील्ह पर मु०अ०स०-129/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 420,467,468,471,272 भा०द०वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अल्टोकार को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि गांव के ही अमरजीत उर्फ चैनई पुत्र पहपट के साथ मिलकर नकली देशी शराब बनाते हैं तथा जिसे मार्केट में असली शराब के रूप में बेच दिया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1- विनोद कुमार सिंह पुत्र स्व० हीरा सिंह निवासी मझलीपट्टी थाना चील्ह मीरजापुर।

नाम पता फरार अभियुक्तगण--

1- अमरजीत उर्फ चैनई पुत्र पहपट निवासी मझलीपट्टी थाना चील्ह मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

ग्राम मझलीपट्टी से, दिनांक 04.11.2020 व समय 21.30 बजे।

विवरण बरामदगी—

- 1- 11 पेटी नकली देशी शराब (कुल 500 शीशी प्रत्येक 180 एमएल)
- 2- खाली शीशी 600, ढक्कन 600
- 3- रैपर ब्लू लाइम 95 अदद, रैपर बाम्बे स्पेशल विस्की 150 अदद
- 4- 01 अदद पैकिंग मशीन लोहे की
- 5- 01 अदद प्लास्टिक का डिब्बा 50 ली० (केमिकल युक्त), 02 प्लास्टिक का डिब्बा प्रत्येक 50 ली० (पानी भरा)
- 6- एक अल्टो कार यूपी 65 एक्स 6994

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण—

- 1- प्र०नि० छोटक यादव थाना चील्ह मीरजापुर।
- 2- उ०नि० रामप्रताप यादव थाना चील्ह मीरजापुर।
- 3- उ०नि० अशोक कुमार सिंह चौकी प्रभारी चेतगंज थाना चील्ह मीरजापुर।
- 4- हे०का० मो० शकील खां चौकी चेतगंज थाना चील्ह मीरजापुर।
- 5- का० सुभाष यादव चौकी चेतगंज थाना चील्ह मीरजापुर।
- 6- का० रवि यादव चौकी चेतगंज थाना चील्ह मीरजापुर।
- 7-का० अगम सिंह चौकी चेतगंज थाना चील्ह मीरजापुर।

8-का0 निखिल वर्मा चौकी चेतगंज थाना चील्ह मीरजापुर ।

9-का0 शशिकान्त यादव थाना चील्ह मीरजापुर ।

10- का0 सत्यानन्द सिंह थाना चील्ह मीरजापुर ।

11- का0 दुर्गेश यादव थाना चील्ह मीरजापुर ।

